

पखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
27/021	136 L R Act	रामपुरिया	दवडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
धीतरलाल	बनाम	राजस्थान सरकार (2021/156)	

वकील :- सी ओम प्रकाश कुमार आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

09
3/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.10.2021 को पेश हो।

(Signature)
3/9/21

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

2/10/21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 तारीख 06.10.2021 को धारा 136 एल आर एक्ट के अन्तर्गत ग्राम रामपुरिया तहसील इबड़ा की जमाबंदी संख्या 2675-2678 के खता संख्या में प्रार्थी कानम श्यामलाल के खत पर सोमा दर्ज है जिसे दुखत कर सोमा के खत पर श्यामलाल दर्ज कराने की वृत्ति करें। उक्त प्रकरण में तहसीलदार इबड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इबड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम रामपुरिया के खता संख्या 77 में प्रार्थी के पिता कानम सोमा पुत्र गोगाराम दर्ज रिकार्ड है। जबकि माफीजप ग्राम पंचायत कदबद सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थी का स्वयं का सपना पत्र, अप्पार भाई व प्रार्थी के पुत्र के आधार पर रिकार्ड आदि में प्रार्थी के पिता कानम श्यामलाल है अतः दस्तावेजों के आधार पर एक मजमे आम में जातकारी करने पर प्रार्थी के पिता कानम सोमा के खत पर श्यामलाल किया जाना उचित होगा।

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

प्रशासन

शायालय उपखण्ड

मुंताविक फटवारी, हल्का, गुरु अगि निरी. एवं तहसील
दार इवडा की रिपोर्ट / अनुशेषा के आधार पर सौ
ग्राम सम्पुरिया तहसील इवडा के खेता संख्या 77
में प्राणी के पिता माना सोभा के रजोन पर श्यामलाल
किया जाता है। तथा तहसीलदार इवडा को निर्देशित
किया जाता है कि उक्त खेता संख्या में प्राणी के पिता
का नाम सुंदर कर पालना सुनिश्चित करें। आदेश
प्रथक से जारी है। पत्रावली फाइल नुमां 100
दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारा (राज०)

1505-11/10/2018 के तारीख

“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इकडा जिला - बारां

-: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मू.अ.नि. केड.गो.प.प. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां/चायब तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सुपुर्गा	77	शेखर पुत्र गंगाधर	शेखर पुत्र गंगाधर



(मोहता रिपोर्ट)
उपखण्ड अधिकारी
इकडा, उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/20/118

दिनांक 2/11/21

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली।

(मोहता रिपोर्ट)
उपखण्ड अधिकारी
इकडा, उपखण्ड अधिकारी